

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि., रा.रा.मार्ग खण्ड- बांसवाड़ा

क्रमांक:- Forest-927 / 2019-20 / 190

दिनांक:- 18-6-2019

निमित्त,
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा।

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग 927-ए के विस्तारीकरण, चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य के अंतर्गत जिला बांसवाड़ा में ग्राम वजवाना से बांसवाड़ा के बीच में प्रभावित हो रही 4.99 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 3246-50 दिनांक 04.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि बिंदुवार पालना प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 4.99 हेक्टेयर वनभूमि वनखंड राजस्व ग्राम वजवाना के वनखंड वजवाना के खसरा नंबर 2796, 2844, 3001, 3002 एवं 3247/3632 तथा राजस्व ग्राम मूंगथली के वनखंड फाटीखान घाटी वाला पार्ट-डी के खसरा नंबर 270/2, 288, 350 एवं 352 से संबंधित है, जिसकी प्रमाणित-प्रति इस पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत है।
2. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत वांछित Forest rights settlement की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक एफ 4 () राजस्व/2019/454 दिनांक 13 जून 2019 (प्रति संलग्न है) के द्वारा उपखंड अधिकारी बांसवाड़ा एवं गढ़ी को निर्देशित कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के स्तर से वांछित प्रमाण-पत्र जारी होते ही प्रथक से प्रस्तुत कर दिया जावेगा। इस आशय का वचनबद्धता-पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 2 () राज./2019/410 दिनांक 17 जून 2019 (प्रति संलग्न है) के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तहसील बागीदौरा के ग्राम पाटन पटवार मंडल पाटन की आराजी नंबर 832, 832/3003 में समतुल्य 4.99 हेक्टेयर गैर वनभूमि वन विभाग हेतु आरक्षित कर दी गई है।
4. परियोजना के निर्माण में प्रस्ताव अनुसार प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई 4.99 हेक्टेयर रक्षित वन भूमि के अलावा ऐसी कोई भूमि सम्मिलित नहीं है जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 12.12.1996 तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 23.02.2015 के अनुसार वनभूमि होने के कारण प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सम्मिलित कराया जाना अपेक्षित हो। इस संबंध में वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार वांछित समस्त सूचनाएं ऑनलाइन भी प्रस्तुत कर दी गई है अतः बिंदुवार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृपया प्रस्ताव अनुसार 4.99 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही शीघ्र करवाने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. रा.रा.मार्ग
खण्ड-बांसवाड़ा

दिनांक:-

क्रमांक:- Forest-927 / 2019-20 /

प्रतिलिपि श्रीमान् अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि., रा.रा. मार्ग वृत्त उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अधिशाषी/अभियंता,
सा.नि.वि., रा.रा.मार्ग,
खण्ड-बांसवाड़ा

urgent
P.C.A./वि.वि.
18/06/2019